भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 32*

(19 नवंबर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

***32. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डीः**

श्री बेल्लाना चन्द्रशेखरः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु 18-30 वर्ष आयु समूह में कार्यबल की हिस्सेदारी में औसत प्रवेश वर्ष में वित्तीय वर्ष 2017-18 के पश्चात् वृद्धि होनी आरंभ हुई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इसे ग्रामीण क्षेत्र के संकट तथा युवाओं हेतु रोजगार के अवसरों की कमी का संकेत मानती है; और

(घ) क्या सरकार के पास ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं हेतु रोजगार के अवसरों की कमी को दूर करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 19.11.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 32 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के अनुसार, पिछले 4 वित्तीय वर्षों के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा) में 18-30 वर्ष की आयु वर्ग के कामगारों की औसत भागीदारी निम्न प्रकार रही है:

	काम करने वाले कुल व्यक्ति (लाख में)	**18-30 वर्ष की आयु वर्ग के कुल व्यक्ति (लाख में)**	**काम करने वाले 18-30 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत**
2015-16	722.59	72.74	10.07%
2016-17	766.91	69.78	9.10%
2017-18	759.15	58.70	7.73%
2018-19	777.41	70.74	9.10%

(ग): जी, नहीं। महात्मा गांधी नरेगा योजना मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है। इसमें आजीविका की सुरक्षा की व्यवस्था है अर्थात जब ग्रामीण परिवारों के रोजगार का कोई बेहतर अवसर उपलब्ध नहीं होता है तो उन्हें आजीविका का तात्कालिक विकल्प उपलब्ध कराया जाता है। काम की मांग वर्षा होने और महात्मा गांधी नरेगा योजना से बाहर वैकल्पिक एवं पारिश्रमिक वाले रोजगार के अवसरों की उपलब्धता जैसे विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की सिफारिश पर देश में अधिसूचित सूखा प्रभावित क्षेत्रों या प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त क्षेत्रों में 100 दिनों के अलावा भी 50 दिनों का अतिरिक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।

(घ): प्रश्न नहीं उठता।

******